# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

| क्र. सं. | अपील संख्या | अपीलार्थीगण का नाम | प्रत्यर्थी विभाग |
|---|---|---|---|
| 1. | 1880 / 2023 | दामोदर प्रसाद मीणा | 1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,राजस्थान, जयपुर।<br>2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं सवास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, जयपुर।<br>3. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान , जयपुर। |
| 2. | 1881 / 2023 | अभिषेक गोस्वामी | |

**आदेश की दिनांक** : 31.07.2023

**उपस्थित –**

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

**समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)**
**लेखराज तोसावड़ा, सदस्य**

## आदेश

1. इस अपील में उपरोक्त दोनों अपीले समान प्रकृति की होने के कारण, इनके तथ्य विवाद बिन्दु समान होने के कारण इन्हें इस एकल आदेश से निर्णित किया जा रहा है।

2. इस अपील में अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थीगण को आदेश दिनांक 21.07.2023 के द्वारा राजपत्रित अनुभाग मुख्यालय को निदेशक (अराजपत्रित) मुख्यालय के समक्ष अपनी उपस्थिति देने हेतु कार्यमुक्त किया गया। उक्त आदेश में 21–7–2023 के आदेश का हवाला दिया गया है जो संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, मुख्यालय, जयपुर को भेजा गया है इसका मुख्य आधार यह बताया गया है कि अपीलार्थीगण के विरूद्ध शिकायत है कि वह बिना रूपये लिये नो डयूज सर्टिफिकेट जारी नहीं करता है। अपीलार्थीगण के विरूद्ध जो शिकायत की गई उसकी कोई जांच भी नहीं की गई न ही अपीलार्थीगण को किसी प्रकार का सुनवाई का अवसर दिया गया है। अपीलार्थी को बिना किसी उचित कारण के झूठी शिकायत के आधार पर आदेश दिनांक 21–7–2023 के द्वारा कार्यमुक्त किया गया है जो प्रारम्भ से ही अनुचित, अवैध व विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थीगण के संबंध में 21–7–2023 को ही संयुक्त शासन सचिव ने पत्र भेजा और उक्त पत्र के आधार पर बिना जांच किये ही 21–7–2023 को ही अपीलार्थीगण को उसके पदस्थापन स्थान से निदेशक (अराजपत्रित)

मुख्यालय के समक्ष अपनी उपस्थिति देने हेतु कार्यमुक्त कर दिया जबकि 21–7–2023 के संयुक्त शासन सचिव के आदेश में स्पष्ट अंकन किया गया था कि अपने स्तर पर जांच कर कर्मचारी का अन्यत्र पदस्थापन किये जाने की कार्यवाही करें लेकिन निदेशक महोदय ने बिना कोई जांच किये ही सीधे ही अपीलार्थीगण को कार्यमुक्त कर दिया गया जो कि अनुचित, अवैध व विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का आगे यह भी कथन है कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 04.01.2023 को आदेश जारी कर स्थानांतरण/एपीओ करने पर प्रतिबंध लगाया है। इसके उपरांत भी अपीलार्थीगण को एपीओ किया गया है, जो प्रतिबंध की अवधि में किया गया है। ऐसे में अपीलार्थीगण को एपीओ किया जाना उचित नहीं है।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि आक्षेपित आदेश दिनांक 21.07.2023 पूर्णतः प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं व्यापक जनहित को देखते हुये नियमानुसार राज्यहित में जारी किया गया है, उक्त आदेश में किसी भी प्रकार से कोई अवैधता एवं नियमों का उल्लंघन नहीं है तथा ना ही उक्त आदेश दुर्भावनापूर्ण आशय से जारी किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न न्यायिक विनिश्चयों में यह मत प्रतिपादित किया है कि आदेश के नियमों के उल्लंघन अथवा दुर्भावना के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। अपीलार्थीगण उक्त तथ्यों को वतैमान में स्थापित करने में असमर्थ रहा है, अतः अपील अपीलार्थीगण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण के विरूद्ध डॉ० अरूण कुमार आसेरी द्वारा मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं रिश्वत के संबंध में शिकायत की गई जिसके आधार पर प्रशासनिक विभाग राजस्थान सरकार के पत्र दिनांक 21.07.2023 के द्वारा शिकायत के परिपेक्ष्य में जांच प्रभावित होने की आशंका में अपीलार्थीगण अग्रिम पदस्थापन हेतु निदेशक (अराजपत्रित) को राजपत्रित अनुभाग निदेशालय से दिनांक 21.07.2023 को मध्यान्ह पश्चात उपस्थिति देने हेतु कार्यमुक्त किया गया है। अपीलार्थीगण का स्थानान्तरण नहीं किया गया है, अपितु अपीलार्थीगण के विरूद्ध शिकायत के विरूद्ध कोई जांच प्रभावित नही होवे इस हेतु अपीलार्थीगण को निदेशक (अराजपत्रित) को अपनी उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया है।

4. दोनों पक्षों द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया गया। अपीलार्थीगण का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि अपीलार्थीगण को बिना किसी जांच के एपीओ किया गया है एवं यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थीगण को स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध होने की अवधि के दौरान एपीओ किया गया है, जो उचित नहीं है। जहां तक

प्रतिबंध का प्रश्न है, इस संबंध में प्रशासनिक सुधार विभाग एवं समन्वय (ग्रुप–1) विभाग के आदेश दिनांक 04.01.2023 के अवलोकन से प्रकट होता है कि स्थानांतरण पर प्रतिबधं अवधि में एपीओ व अन्य माध्यम से इच्छित जगह पर पदस्थापित नहीं किया जावें। वर्तमान में अपीलार्थीगण को एपीओ उसकी इच्छा से पदस्थापित करने की दृष्टि से नहीं किया गया है। ऐसे में एपीओ के संबंध में राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार विभाग एवं समन्वय (ग्रुप–1) विभाग के आदेश के विरूद्ध उक्त आदेश दिनांक 04.01.2023 प्रस्तुत प्रकरण में लागू नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में अपीलार्थीगण को प्रशासनिक दृष्टि से एपीओ किया गया है, क्योंकि अपीलार्थीगण के विरूद्ध रिश्वत प्राप्त करने की शिकायतें प्राप्त हुई थी और इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है। प्रत्यर्थी विभाग का यह कथन रहा है कि शिकायत के परिप्रेक्ष्य में जांच प्रभावित होने की आशंका से अपीलार्थीगण को एपीओ किया गया है। ऐसे में एपीओ किये जाने का कारण पूर्णतः प्रशासनिक रहा है, जिसमें कोई त्रुटि अथवा दुर्भावना प्रकट नहीं होती है।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इन दोनों अपीलों में कोई बल नहीं पाते हैं। अतः उक्त दोनों अपीलें खारिज की जाती है।

**(लेखराज तोसावड़ा)**
**सदस्य**

**(अनन्त भण्डारी)**
**सदस्य (न्यायिक)**